संख्या- 36/2288/58-1-2025/001-54-2011-6-2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-परियोजना कार्यालय के सहगोदामों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक-196/बा0वि0परि0/बा0वि0परि0स0/2025-26, दिनांक 25.06.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-परियोजना कार्यालय के सहगोदामों का निर्माण (रा०-100%) के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य" में प्रावधानित धनराशि रू० 4900.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त हेतु 02 परियोजना कार्यालय के निर्माण हेतु रू0 14.58 लाख, तृतीय किस्त हेतु 05 परियोजना कार्यालय के निर्माण हेतु रू0 36.45 लाख तथा जी०एस०टी० के अंतर की धनराशि रू0 3.375 लाख एवं चतुर्थ किस्त हेतु 03 परियोजना कार्यालय के निर्माण हेतु रू0 17.496 लाख तथा जी०एस०टी० के अंतर की धनराशि रू० 2.025 लाख अर्थात् कुल रू0 73.926 लाख (रू0 तिहत्तर लाख बानवे हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है:-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश कार्य की गुणवत्ता को विशेष रूप से सुनिश्चत किया जायेगा कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना से न कराया गया हो अथवा प्रस्तावित हो। बजट उपलब्ध हो तथा वित्तीय व प्रशासकीय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, शासनादेश संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022, एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. कार्यदायी संस्था को तीसरी किस्त, पहली किस्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किस्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त तथा चौथी किस्त, पहली एवं दूसरी किस्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं तीसरी किस्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो-दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी। बकाया 5 प्रतिशत की राशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही परियोजना कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त की जायेगी।

4. प्रश्नगत बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदामों का समयबद्ध गुणवत्तापरक निर्माण कराए जाने के लिए सतत अनुश्रवण निदेशक, आईसीडीएस द्वारा किया जायेगा।

5. प्रश्नगत कार्य हेतु व्यय वित्त समिति बैठक दिनांक 17.06.2022 द्वारा आंकलित लागत धनराशि रू0 29.16 लाख के अन्तवर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय/उपयोग के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा योजना विषयक निर्गत गाइड लाईन/दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश की होगी।

9. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

10. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

11. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

12. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

13. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

16. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, आईसीडीएस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, आईसीडीएस का होगा।

18. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

19. योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

20. स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

21. उक्त स्वीकृत धनराशि बाल विकास परियोजना कार्यालय सहगोदाम के निर्माण पर ही व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

22. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

23. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

24. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

25. धनराशि के आहरण के पूर्व प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्यु विभागों से क्लीनयरेन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशलाय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

26. भवन का निर्माण निर्धारित आगणन एवं इसके साथ प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा। अनुमोदित आगणन एवं मानचित्र में शासन की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

27. उक्त भवनों का निर्माण कार्य आगणन में दी गयी दरों (जो कि लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2020 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित है) पर ही करना होगा। इस पर कोई बढ़ोत्तरी देय नहीं होगी।

28. भवन का निर्माण तथा उसकी गुणवत्ता की जांच लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल्ड के आधार पर करायी जायेगी। शासन/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विशेषज्ञ/एजेन्सी से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं।

29. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ किये जायें।

30. उक्त निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 73,92,600 (रुपये तिहत्तर लाख बानबे हजार छह सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 4235021020300 परियोजना कार्यालय के सहगोदामों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 36/2288(1)/58-1-2025/001-54-2011-6-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. सम्बान्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।